

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली स्थित कैराना।
उपस्थित:- अरुण सिंह -----(उ.प्र. न्यायिक सेवा)

वाद संख्या - 3071/9/2018

सरकार-----अभियोजन,
बनाम

- (1)- शराफत पुत्र शौकत
(2)- आबिद पुत्र सलामू
(3)- मोहसिन पुत्र शौकीन
(4)-हसनूद पुत्र मुस्तफा ,समस्त निवासीगण ग्राम साहेजनी उमरपुर थाना-थानाभवन, जिला शामली।
-----अभियुक्तगण

धारा- 452, 323, 504, 506, भा.द.सं.
मु.अ.सं.- 256/2014
थाना- थानाभवन, जिला-शामली।

निर्णय

पुलिस थाना थानाभवन के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 256/2014, अंतर्गत धारा- 452, 323, 504, 506, भा.द.सं. में अभियुक्तगण शराफत, आबिद, मोहसिन व हसनूद को तलब कर दण्डित करने के लिए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.2014 समय करीब 08.00 बजे रात्रि का वाकिया है। बच्चे खेल रहे थे। जिनमें आपस में कहा सुनी हो गयी तो शराफत पुत्र शौकत, आबिद पुत्र सलामू, मोहसिन पुत्र शोकीन, हसनूद पुत्र मुस्तफा अपने हाथों में लाठी-डण्डे लेकर आये और गाली-गलौच करने लगे। मना करने पर मारपीट पर उतारू हो गये तथा इन्तिजार के घर का दरवाजा तोड़कर अन्दर घुस गये तो अपने हाथों में लिये लाठी-डंडों से व ईंट-पत्थरों से मारपीट की, जिसमें इन्तिजार पुत्र मुमताज, अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुलरज़ाक को काफी चोटें आयी हैं तथा टंकी आदि तोड़ डाली। शोर-शराबा सुनकर काफी लोग आ गये, जिन्होंने जान बचाई। मुल्जिमान उपरोक्त जान से मारने की धमकी देकर चले गये। रिपोर्ट लिखाने थाने पर आये हैं। कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

वादी मुकदमा की तहरीर पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया गया। बाद विवेचना अभियुक्तगण शराफत पुत्र शौकत, आबिद पुत्र सलामू, मोहसिन पुत्र शौकीन के विरुद्ध धारा 452, 323, 504, 506, भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं। अभियुक्तगण शराफत, आबिद, मोहसिन व हसनूद के विरुद्ध धारा 452, 323, 504, 506, भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही में साक्षी इन्तिजार को बतौर पी०डब्लू० 1, फय्याज को बतौर पी०डब्लू० 2 परीक्षित कराया गया। वादी के द्वारा अन्य गवाहों को उन्मोचित किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो अभियोजन अधिकारी द्वारा सब्मिट किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया और अन्य साक्षीगण को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने पुलिस प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की। तदोपरांत अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा उनके तर्कों के आलोक में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूप से परीशीलन किया गया।

निष्कर्ष

प्रस्तुत मामले में अभियोजन को साक्ष्य से संदेह से परे इन तथ्यों को साबित करना है कि दिनांक 08.06.2014 समय करीब 08.00 बजे रात्रि का वाकिया है। बच्चे खेल रहे थे। जिनमें आपस में कहा सुनी हो गयी तो शराफत पुत्र शौकत, आबिद पुत्र सलामू, मोहसिन पुत्र शोकीन, हसनूद पुत्र मुस्तफा अपने हाथों में लाठी-डण्डे लेकर आये और गाली-गलौच करने लगे। मना करने पर मारपीट पर उतारू हो गये तथा इन्तिजार के घर का दरवाजा तोड़कर अन्दर घुस गये तो अपने

हाथों में लिये लाठी-डंडों से व ईंट-पत्थरों से मारपीट की, जिसमें इन्तिजार पुत्र मुमताज, अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुलरजाक को काफी चोंटे आयी हैं तथा टंकी आदि तोड़ डाली। शोर-शराबा सुनकर काफी लोग आ गये, जिन्होंने जान बचाई। मुल्जिमान उपरोक्त जान से मारने की धमकी देकर चले गये।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 1 के रूप में इन्तजार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना अब से करीब 3-4 साल पहले रात की है। बाहर बच्चे खेल रहे थे। उनकी आपस में लड़ाई होने के कारण काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। मैं बाहर देखने गया तो धक्का मुक्की में, मैं गिर गया व मुझे काफी चोंटे आयीं। हाजिर अदालत शराफत, आबिद, मोहसिन व हसनूद को मैं जानता हूँ। इन्होंने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की है। घटना की तहरीर मैंने गांव वालों के कहने पर लिखवाई थी। मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि उसमें किस-किस का नाम है। तहरीर को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तरहीर है जो मैंने थाने पर दी थी। गवाह ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिस पर प्रदर्शक-1 डाला गया। मेरे साथ उस दिन घटना में अब्दुल अजीज को भी चोंटे आई थी। अब्दुल अजीज की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। दारोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया व अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गई। गवाह को 161 द.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दारोगा जी को नहीं दिया, उन्होंने कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मुल्जिमान से हमारा समझौता हो गया है, परन्तु यह कहना गलत है कि समझौते के कारण झूठा बयान दे रहा हूँ हाजिर अदालत मुल्जिमान आविद, शराफत व हसनूद व गैर-हाजिर मोहसिन मेरे व अब्दुल अजीज के घर में घुस कर कोई मारपीट नहीं की। गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी भी नहीं दी। मैं ये गवाही किसी दबाव में नहीं दे रहा हूँ तथा सच बता रहा हूँ।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 2 के रूप में फय्याज को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना कब की है मुझे जानकारी नहीं है। मैं अपने काम से गांव के बाहर गया हुआ था। मैं जब घर आया तो लोगों को बाते करते सुना कि गांव में कुछ लोगों के बीच कहा-सुनी हो गई है। घटना के समय में मौके पर मौजूद नहीं था। मैंने घटना होते नहीं देखा न ही किसी से मारपीट होते देखा, न ही गाली-गलौच करते देखा, न ही किसी को जान से मारने की धमकी देते हुए देखा। इस स्तर पर अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है और जिरह की अनुमति दी गयी। पी०डब्लू 2 ने अपनी जिरह में कहा है कि दारोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। वह नहीं बता सकता कि उन्होंने मेरे बयान कैसे लिख लिया। हाजिर अदालत मुल्जिम शराफत गैर-हाजिर आबिद, मोहसिन, हसनूद को जानता पहचानता हूँ। ये हमारे पड़ोसी हैं। लोगों ने हमारे सामने घर में घुसकर कोई मार-पीट, गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी नहीं दी। यह कहना सही है कि मुल्जिमान का वादी से समझौता हो गया है। लेकिन यह कहना गलत है कि समझौते के कारण मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।

आपराधिक विधि का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे अभियोजन साक्ष्य से साबित करें। साक्षी पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है।

उपरोक्त गवाहों के बयानों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पहुंचता है कि गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे मामला साबित नहीं होता है तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण शराफत, आबिद, मोहसिन व हसनूद को अंतर्गत धारा 452, 323, 504, 506, भा.द.सं.के आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्तगण शराफत, आबिद, मोहसिन व हसनूद को अंतर्गत धारा 452, 323, 504, 506, भा.द.सं.के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनकी जमानतनामे एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक: - 02.03.2021

(अरुण सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: - 02.03.2021

(अरुण सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।